दिनांक 31 जनवरी, 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

---

1. उपस्थितिः–संलग्न।

समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को नव वर्ष 2019 की बधाई देते हुए बैठक प्रारंभ की गयी। अनुपस्थिति की स्थिति में पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०/निदेशालय

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन एवं सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडलों/जिलों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अनुपालन नहीं करने वालें जिलों को अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित तिथि प्रत्येक माह के 8वीं तारीख तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने लिए सभी को निदेश दिये गये।

अनुपालनः– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय बैठक की समीक्षा में अपने–अपने जिला की प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी अवगत करायी जाय। संबंधित लंबित प्रतिवेदन एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय–समय पर आहूत जिला स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सभी लंबित प्रतिवेदनों को ससमय करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

5. अगामी छः माह में सेवानिवृत हो रहे पदाधिकारी/कर्मियों की समीक्षा कर सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि सेवान्त लाभ का ससमय भुगतान हो सके।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/स्थापना प्रशाखा 1 एवं 2

6. संबंधित स्थापना से सेवानिवृत वैसे कर्मी जिन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्री यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः–निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

7. <u>बजट</u> :–

(i)(क) वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह–जनवरी 2019 का व्यय विवरणी सभी कार्यालयों से प्राप्त है। इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ख) निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

07.02.19

(ग)(i) गत बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति जिला पटना, नालंदा, किशनगंज एवं औरंगाबाद से अप्राप्त किया गया। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह उक्त प्रतिवेदन 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय। अवशेष राशि का मदवार विवरणी भी माह के अंतिम में अंकित की जाय।

(ii) प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के आधार पर निम्न जिलों के रोकड़पंजी एवं बैंक खातें में उपलब्ध राशि में अन्तर पाये जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया। अन्तर राशि की जॉच कर Reconciliation विवरणी में इसका स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करें। चूकि यह वित्तीय मामला है।

क्र.सं.	जिला का नाम	अन्तर राशि (रूपये में)	क्र.सं.	जिला का नाम	अन्तर राशि (रूपये में)
1	पटना	89704=00	2	रोहतास	355203=00
3	भोजपुर	6096=00	4	बक्सर	611=00
5	पूर्णियॉ	137542=00	6	अररिया	61379=00
7	सूपौल	232298=00	8	मधेपुरा	56292=00
9	शिवहर	-17165=00	10	पूर्वी चम्पारण	102741=00
11	वैशाली	-91960=00	12	नवादा	10006=00
13	लखीसराय	182.50=00	14	जमई	5575=00
15	बेगुसराय	359033=72	16	बांका	566=00
17	दरभंगा	216490=50	18	समस्तीपुर	15269=50
19	सिवान	189424=00	20	गोपालगंज	12214=00

(iii) **जिला द्वारा निकासी कर बैंक खाता में रखी गयी राशि की विवरणीः**— समीक्षा में यह बात प्रकाश में आया कि **निम्न** जिलों द्वारा निकासी कर बैंक खातें में रखी गयी राशि के संदर्भ में निदेश दिया गया कि निकासी की गयी उक्त राशि की समीक्षा करें कि किस–किस वित्तीय वर्ष में यह राशि निकासी की गयी एवं इसका भुगतान संबंधित को अबतक नहीं किये जाने के कारणों का मंतव्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चूकि यह मामला वित्तीय है।

क्र. सं.	जिला का नाम	बैंक पासबुक में संचित राशि (रूपये में)	क्र.सं.	जिला का नाम	बैंक पासबुक में संचित राशि (रूपये में)
1	पटना	2856210=00	2	रोहतास	587676=00
3	कैमूर	179701=00	4	भोजपुर	67598=00
5	बक्सर	51971=00	6	जहानाबाद	22404=00
7	पूर्णियॉ	1426935=00	8	अररिया	341527=00
9	कटिहार	585178=00	10	सहरसा	234060=00
11	सूपौल	47478=00	12	मधेपुरा	678336=00
13	मुजफ्फरपुर	280698=00	14	शेखपुरा	18781=00
15	शिवहर	42507=00	16	प0 चम्पारण	562305=00
17	पूर्वी चम्पारण	452891=00	18	गया	558000=00
19	वैशाली	136831=00	20	नवादा	11578=00

7.2.19

21	खगड़ियॉ	366007=00	22	भागलपुर	60226=80
23	बेगुसराय	3450740=72	24	बांका	865587=82
25	दरभंगा	4325781=50	26	समस्तीपुर	1210509=00
27	सिवान	385424=00	28	गोपालगंज	143624=00
29	मधुबनी	698216=00	30	सारण	2329341
31	जमुई	70604=00			

(घ)दिनांक 17–18 दिसम्बर 2018 को आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत आवंटित राशि के विरूद्व 31.03.2019 तक संभावित व्यय की समीक्षा कर बचत का प्रत्यार्पण दिनांक 15.01.19 तक करने का निदेश था, परंतु अधिकांश आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। निदेश है कि आवंटित राशि एवं व्यय की समीक्षा कर प्रत्यार्पण योग राशि एक पक्ष के अन्दर प्रत्यार्पित करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(ड़) राज्य योजना मद मे जीवनांक एवं कृषि सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संपादन हेतु कुल आवंटित 1246.52 लाख रूपयें के विरूद्व 124.62 लाख रूपयें के व्यय होने पर क्षोभ प्रकट किया गया। सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त आवंटित राशि का शतप्रतिशत व्यय करना सुनिश्चित करें। निदेश दिया गया कि इस मामलें की गंभीरता को जीवनांक/कृषि प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी इसकी जॉच करें एवं तत् संबंधी प्रतिवेदन समर्पित की जाय।

(iv)समीक्षा के क्रम मे पुर्णियॉ, सुपौल, औरंगाबाद, बांका, समस्तीपुर, सारण जिला से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बी.टी.सी.–42ए. अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी अंतिम रूप से वांछित प्रतिवेदन 07.02.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/लेखा शाखा/निदेशालय

(v) निदेशालय के पत्रांक 163/28.01.2019 द्वारा वित्त विभाग के निदेशानुसार सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को अपने कार्यालय का त्रैमासिक लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराने का निदेश से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र के निदेशानुसार नियमित रूप से अपने कार्यालय के लेखा का सत्यापन कराते हुए सत्यापन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा

(vi) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि जिला सांख्यिकी कार्यालय वैशाली/औरंगाबाद एवं गया में अंकेक्षण प्रतिवेदन के कुछ कंडिकाओं अनुपालन नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र वैक्तिगत अभिरूची लेकर लंबित कंडिकाओं का अनुपालन करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा।

(vii) विगत वर्षो में समर्पित डी.सी. विपत्रों की लेखा परीक्षा आपत्तियों का अनुपालन जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर, किशनगंज, शेखपुरा एवं मधेपुरा में लंबित रहने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को ए.सी. विपत्रों का समायोजन कराने का निदेश दिया गया। अगर कोई लंबित/असमायोजित डी.सी. विपत्र उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से कराकर तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/बजट शाखा